हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

कार्यसूची

अष्टम् सत्र

मंगलवार, 17 मार्च, 2015/26 फाल्गुन, 1936(शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. **प्रश्नोत्तर:**

(1) **तारांकित :**

दिन के लिए — पृथक सूची में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

(2) **अतारांकित :**

दिन के लिए — पृथक सूची में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

2. **कागजात सभा पटल पर रखे जाएंगे :**

(1) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री,** निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

(i) हिमाचल प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2014-15; और

(ii) हिमाचल प्रदेश संरचना विकास बोर्ड अधिनियम, 2001 की धारा 27 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश संरचना विकास बोर्ड का 13वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-14।

(2) **श्री धनी राम शांडिल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री,** हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक निगम अधिनियम,1979 की धारा 23 (6) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक निगम, हमीरपुर की 33वीं वार्षिक प्रशासनिक विवरणिका वर्ष 2013-14 की प्रति सभा पटल पर रखेंगे।

3. सदन की समितियों के प्रतिवेदन :

(1) **श्री रविन्द्र सिंह, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2014-15),** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे :-

(i) समिति का **88वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2010-11 (राज्य के वित्त) पर आधारित तथा **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग** से सम्बन्धित है;

(ii) समिति का **89वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 38वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित **पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग** से सम्बन्धित है; और

(iii) समिति का **90वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 272वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित **प्रारम्भिक शिक्षा विभाग** से सम्बन्धित है ।

(2) **श्री महेश्वर सिंह, सभापति, मानव विकास समिति, (वर्ष 2014-15),** समिति का **11वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि **तकनीकी शिक्षा व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग** से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

4. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव:

श्री महेश्वर सिंह, दिनांक 8 मार्च, 2015 की रात्री को अधिक वर्षा होने के कारण कुल्लू नगर के वार्ड नम्बर, 4 के अन्तर्गत भीषण भू-स्खलन से अनेकों मकान व सड़क को हुई क्षति से उत्पन्न स्थिति की ओर **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री** का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

शिमला-171 004 | सुन्दर सिंह वर्मा,
दिनांक: 16 मार्च, 2015 | सचिव ।

******

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)